न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहजहॉपुर।
प्रकीर्ण वाद संख्या 1217/2022
शान्ती देवी प्रति सुरजीत वर्मा आदि
प्रार्थना पत्र–156(3) दं.प्र.सं,
थाना निगोही, शाहजहॉपुर।

07–10–2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आवेदिका के विद्धान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. पर पूर्व की तिथि पर सुना जा चुका है। आवेदिका की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं.प्र.सं. विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थिनी के पति रविन्द्र वर्मा पुत्र श्री खुशी राम के सगे भाई सुरजीत वर्मा व नन्हें वर्मा जमीन जायदाद से सम्बन्धित रंजिश मानते थे और वे उनका हिस्सा हडप करना चाहते थे। दि० 17–6–2022 को प्रार्थिनी अपने पति रविन्द्र वर्मा के साथ अपने भाई सुनील कुमार की साली के विवाह में शामिल होने गयी थी। विवाह होने के उपरान्त पति रविन्द्र वर्मा दिनांक 18–6–2022 को अपने घर निवाड़ी चले आये। प्रार्थिनी अपने मायके अब्दुल्लागंज चली गयी। प्रार्थिनी को दिनांक 20–6–2022 को सुबह 6.00 बजे ग्राम प्रधान रविन्द्र व अन्य मोहल्ले वालों के द्वारा सूचना मिली कि प्रार्थिनी के देवर सुरजीत वर्मा व नन्हें वर्मा व उनकी पत्नियों ने प्रार्थिनी के पति रविन्द्र वर्मा को जमीन के विवाद के चलते हत्या कर दी। प्रार्थिनी को सूचना मिलने पर प्रार्थिनी तुरन्त अपने भाई सुनील कुमार व पिता उमाशंकर व भाभी मीना देवी व भाभी चन्द्रावती व बच्चों के साथ सुबह 7.30 बजे अपने घर निवाड़ी आयी तो देखा प्रार्थिनी के पति रविन्द्र वर्मा की लाश खून से लथा पक्ष बरामदे में पड़ी थी। उनके सिर व कान व हाथों पैरों से खून निकला जो जम चुका था। उनके शरीर पर गम्भीर चोटों के निशान दिख रहे थे और घर के लोग गायब थे। वहां केवल थाना पुलिस व गाँव के प्रधान व अन्य गाँव वाले मौके पर मौजूद थे। प्रार्थिनी को पूरा अंदेशा है कि प्रार्थिनी के पति की हत्या प्रार्थिनी के देवर सुरजीत वर्मा व नन्हें वर्मा व उनकी पत्नियों सोनी व क्रान्ती के साथ मिलकर हत्या की है। प्रार्थिनी से थाना निगोही पुलिस ने कोरे कागजों पर अंगूठे लगवा लिये और प्रार्थिनी के पति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दिनांक 20–5–2022 को भेज दिया और उपरोक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए टहलाती रही और रिपोर्ट दर्ज नहीं की मजबूर होकर प्रार्थिनी ने पुलिस अधीक्षक महोदय व पुलिस महानिदेशक व मुख्यमंत्री उ० प्र० शासन लखनऊ को दिए 3–9–2022 को प्रार्थना पत्र दिये, परंतु प्रार्थिनी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। प्रार्थिनी को अभियुक्तगण से अपनी जान माल का खातरा बना हुआ है। प्रार्थिनी अभियुक्तगणों के डर से अपने मायके ग्राम अब्दुल्लागंज में निवास कर रही है।

थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने द्वारा इस आशय की आख्या दी गयी कि थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थनापत्र में आवेदिका द्वारा विपक्षीगण पर उसके पति रविन्द्र वर्मा की हत्या का आरोप लगाया गया है। प्रार्थनापत्र में कथित अपराध संज्ञेय प्रकृति का है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर विवेचना कराया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक, निगोही को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों के आधार पर सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
शाहजहॉपुर।